संख्याः15/2017/1862/37-3-2017-3(05)/2016 टी.सी

प्रेषक,

डॉ0 सुधीर एम0 बोबडे,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक (प्रशासन एवं विकास),
पशपालन विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-3 **लखनऊःदिनांकः 05 दिसम्बर, 2017**

विषयः डा0 कृपा शंकर सिंह तत्कालीन अपर निदेशक ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद सम्प्रति सेवानिवृत्त, डा0 जी0एन0 सिंह तत्कालीन मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, फैजाबाद सम्प्रति अपर निदेशक ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, बरेली मण्डल, बरेली एवं श्री चन्द्रशेखर सिंह, कनिष्ठ सहायक/कैशियर कार्यालय मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, फैजाबाद का स्पष्टीकरण एवं उनके विरूद्ध आरोप-पत्र गठित कर उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-155/37-3-2017, दिनांक 18.05.2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अनुपालन के क्रम में आपके पत्र संख्या-425/स्था0-3/53बी(309), दिनांक 14.09.2017 द्वारा श्री चन्द्रशेखर सिंह, कनिष्ठ सहायक/कैशियर कार्यालय मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, फैजाबाद का स्पष्टीकरण शासन को उपलब्ध कराया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण पर सम्यक् विचारोपरान्त् श्री चन्द्रशेखर सिंह कनिष्ठ सहायक/कैशियर कार्यालय मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, फैजाबाद को भविष्य के लिए सचेत करते हुए प्रकरण को समाप्त/निक्षेपित किये जाने का निर्णय लिया गया है। कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने एवं कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

डॉ0 सुधीर एम0 बोबडे
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com